राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन, बैरिकेडिंग के आगे रुका मार्च

कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने रोका

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले- अभी केवल चेतावनी देने आए हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः , दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता रेडक्रॉस चौराहे पर एकत्र हुए और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के दोनों प्रवेश द्वारों पर पहले से ही पुलिस बल तैनात था। रेडक्रॉस अस्पताल के सामने लिंक रोड पर लगाए गए बैरिकेड्स के कारण भाजपा कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अपने हाथों में लिए पोस्टर तथा तख्तियां पुलिस की ओर फेंकी। करीब दस मिनट तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद भाजपा कार्यकर्ता वापस लौट गए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

खंडेलवाल ने दी चेतावनी

प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह केवल चेतावनी स्वरूप प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि दुबे सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें निर्धारित स्थान पर ही रोक दिया।

जोकर की वेशभूषा में पहुंचा युवक

प्रदर्शन के दौरान एक युवक जोकर की वेशभूषा में भी पहुंचा। उसने अपनी टी-शर्ट पर एक पोस्टर लगाया हुआ था, जिस पर लिखा था, 'देश का अपमान, मेरा काम - राहुल गांधी।' प्रदर्शन के दौरान यह युवक भी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहा।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी जरूरी : डॉ.यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र को समझना, उसके मूल्यों को आत्मसात करना और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना ही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में है, इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदीय परंपराओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक-1 में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने आए विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान आगर-मालवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों तथा जबलपुर के स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल के 40 विद्यार्थियों ने उनसे सौजन्य भेंट की।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से विधानसभा भ्रमण के अनुभव साझा करने को कहा। विद्यार्थियों ने बताया कि पहली बार सदन की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देखने और कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिला, जो उनके लिए प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। मुख्यमंत्री ने उनकी जिज्ञासा, प्रतिभा और नवाचार की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर आगर से विधायक माधव सिंह (मधु गहलोत) तथा जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहाणी के मार्गदर्शन में भोपाल पहुंचे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से तैयार किए गए विभिन्न मॉडल और आकर्षक सीनरी भी भेंट किए।

भाजपा विधायक संजय पाठक को हाईकोर्ट से राहत

आपराधिक अवमानना की कार्रवाई समाप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यायाधीश को कॉल और संदेश भेजने से जुड़े आपराधिक अवमानना प्रकरण में उनका बिना शर्त माफीनामा स्वीकार करते हुए कार्रवाई समाप्त कर दी। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी भी दी।

मामला हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा को फोन कॉल और संदेश भेजे जाने से जुड़ा था। इस घटनाक्रम पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की थी। अंतिम सुनवाई के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।

जनगणना के चलते 2027 से पहले नागदा जिला गठन पर अंतिम फैसला नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र के उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा को नया जिला बनाए जाने की प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय वर्ष 2027 की जनगणना के बाद ही संभव होगा। विस में बुधवार को सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव से संबंधित दावे-आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग को भेज दिया गया है। आयोग की अनुशंसा मिलने के बाद ही शासन अंतिम निर्णय ले सकेगा। विस में हरदा से कांग्रेस विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने के तारांकित प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि नागदा जिला गठन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर संशोधित प्रतिवेदन मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग को भेजा जा चुका है। हालांकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के मद्देनजर मार्च 2027 तक राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

मप्र विधानसभा में दिल्ली प्रदर्शन को लेकर हुए हंगामे के बीच पांच विधेयक पारित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हुए मुख्य विपक्षी पार्टी के कांग्रेस के विधायकों के हंगामे के बीच सरकार ने विधानसभा में पांच विधेयक पारित करा लिए।

सदन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) संशोधन विधेयक, मप्र निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक-2026, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक-2026, मप्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026 पारित किए।

मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस विधायक हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश से बाहर का है, इसलिए विधानसभा के नियमों के अनुसार इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि सुबह 9 बजे के बाद सूचना दी गई थी, इसलिए भी यह नियमों के अनुरूप नहीं है।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने मामले को स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी। इस फैसले के बाद सदन में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस यह सब केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कर रही है। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

पंचायत राज संशोधन विधेयक पारित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन गांवों को प्राथमिकता दी है, जहां पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं हैं। सरकार पहले ऐसे स्थानों पर आवश्यक भवनों का निर्माण कराएगी, ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी दौरान विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक-2026 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना है।

सदन पुन: समवेत होने पर गौतम टेटवाल ने सदन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक 2026 का प्रस्ताव मंत्री चर्चा के लिए रखा। चर्चा में विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य ने भाग नहीं लिया। भाजपा विधायक जितेंद्र उदय सिंह पंड्या ने संशोधन विधेयक का समर्थन किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक पारित हो गया है। मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि बलवा, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत गाली गलौच, पति या उससे संबंधित महिला से क्रूरता करने से जुड़ी धाराओं को समझौता योग्य बनाया गया है। महिलाओं के आवेदन पर समझौते की प्रक्रिया कोर्ट पर निर्भर करेगी।

इसके बाद सदन में मप्र निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक-2026 पर चर्चा शुरू हुई। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की ओर से पेश मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इसका विरोध किया। श्री परमार ने कहा कि सरकार निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता और 5 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट की शर्त खत्म कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार यह संशोधन किसके दबाव में कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे, लेकिन कई बाद में बंद हो जाएंगे और छात्रों से फीस लेकर भाग सकते हैं। उन्होंने इसे 'काला विधेयक' बताते हुए कहा कि इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोलने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित घोषित कर दिया गया।

इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2026 पर चर्चा शुरू हुई। सदन में विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी-अपनी राय रखी। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सरकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जबलपुर स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के विखंडन की कोई ठोस या मजबूत आवश्यकता नहीं है।

जेंडर रेस्पोंसिव बजट की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति

नप्र, भोपाल : राज्य सरकार ने जेंडर रेस्पोंसिव बजट की समीक्षा और प्रभावी निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में वित्त, योजना, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा किसान कल्याण सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे।

जताया शोक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री खंडेलवाल ने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान देने की कामना की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की।

रादुविवि अवमानना प्रकरण में राज्यपाल का नाम हटाने आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े अवमानना प्रकरण में राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल का नाम याचिका से हटाने के लिए बुधवार को उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से राज्यपाल का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने का आवेदन दायर किया गया है। डॉ. आर.बी. दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2000 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर पद पर हुई थी। उन्होंने 29 जून 2006 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया था। याचिका के अनुसार, 14 जुलाई 2006 को त्यागपत्र स्वीकार करने के संबंध में एक शर्त लगाई गई, जबकि उन्होंने 28 जुलाई 2006 को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 जुलाई 2006 को उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में आदेश पारित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अवमानना याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। इस बीच रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मंगलवार को राज्यपाल का नाम अवमानना याचिका से हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

पेज एक से जारी ...

अशोक वर्णवाल बने स्थानापन्न ...

अन्य अधिकारी जिनके नाम मुख्य सचिव के लिए चर्चा में उभरे उनमें सर्वश्री मनोज गोविल (1991 बैच), मनु श्रीवास्तव (1991 बैच), पंकज अग्रवाल (1992 बैच) और नीरज मंडलोई (1993 बैच) शामिल हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं होती। सरकार अधिकारी की प्रशासनिक क्षमता, कार्यशैली, ईमानदार छवि, विजिलेंस क्लियरेंस, लंबित विभागीय या आपराधिक मामलों और केंद्र व राज्य सरकार के साथ समन्वय की क्षमता जैसे पहलुओं पर भी विचार करती है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर जांच या विवाद लंबित हों, तो उनकी दावेदारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए वरिष्ठता के बावजूद अंतिम फैसला कई प्रशासनिक और सेवा संबंधी मानकों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों से किया संवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था की दी जानकारी

बच्चों के लिए खुले विधानसभा के द्वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सामाजिक समावेशन का प्रेरक दृश्य देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर भोपाल के दो संस्थानों के विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगबच्चों ने विधानसभा परिसर का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का अवलोकन किया।

दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विधानसभा भ्रमण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। समर्थनम ट्रस्ट तथा शासकीय दृष्टि एवं वाक् बाधित विद्यालय के 24 बच्चों ने दिव्यांगजन आयुक्त के साथ विधानसभा परिसर का भ्रमण किया।

भ्रमण के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बच्चों को अपने कक्ष के समीप स्थित सभाकक्ष में आमंत्रित कर उनसे आत्मीय संवाद किया। बच्चों ने संसदीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछे और बताया कि वे अब तक दूरदर्शन पर संसद की कार्यवाही देखते थे, लेकिन पहली बार उन्हें प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा की कार्यवाही देखने का अवसर मिला, जो उनके लिए प्रेरणादायक अनुभव रहा।

इस दौरान दर्शक दीर्घा में बच्चों की सुविधा के लिए संकेत भाषा दुभाषिए की भी व्यवस्था की गई। डॉ. खेमरिया ने इस अवसर पर आयुक्त कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति विधानसभा अध्यक्ष को भेंट की तथा प्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com